

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादीगण
प्रहलादसिंह पुत्र स्वरूपसिंह राजपूत निवासी पलाड़ा	ना म	महावीरसिंह पुत्र छीतरसिंह राजपूत निवासी पलाड़ा तह. कुचामनसिटी

राजस्व वाद = अधिकारो की घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53,188 R.T.Act 1955

वाद-पत्र नम्बर **87 /2022** GCMS No.2022/ 172

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	------------------------------------	----------------------------------------------------------------

07.06.2022

वकील वादी द्वारा यह दावा अधिकारो की घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53,188 R.T.Act 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 08.07.2022 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

8.7.2022 पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी
राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः
पत्रावली दिनांक 29.9.2022 को पेश हो।
→

~~07.07.2022 वकील वादी के द्वारा उपरिल पत्र उद्घुस्त
कार्ये प्र पत्रावली उक्त मकर पर ली गयी वादी वकील
ने कापन किया है कि प्रकाशपत्र के मध्य जारीकाला से प्रका
श हो चुका है। इस वाद - पत्र जारीने विडोम खासिय प्रकाश
जारी वाद जारीगम जारीने विडोम खासिय किया प्रकाश हो
पत्रावली केवम सुकरा केकर मकर 6 मक केकर अधिक
करके हो~~


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

